भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

मार्च, 2020

''इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा'' संबंधी परामर्श पत्र पर 03.02.2020 को खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई

1. सिफारिश

1.1 भादूविप्रा द्वारा 21.02.2020 को दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करने से संबंधित सिफारिशें जारी की गई

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में विलय और अधिग्रहण के दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन करके अनुपालन संबंधी दायित्वों को सरल और सुगम बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सकें। इस संबंध में दूरसंचार विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें 2014 के उक्त दिशानिर्देशों में संशोधनों पर भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में संशोधन करने'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य पृष्ठभूमि पर जानकारी प्रदान करना और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के लिए अपेक्षित संशोधन पर हितधारकों की टिप्पणियां/सूचना प्राप्त करना था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सूचना करने के बाद इनके विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया । प्राधिकरण ने विलय के हस्तांतरण के लिए तय समयावधि, लाइसेंसधारक के मार्केट शेयर की गणना जैसे विषयों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रासंगिक खंडों में समय–समय पर बदलाव करने की सिफारिश की है।

संपूर्ण सिफारिशों को नीचे दिए लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_21022020.pdf

2. निदेश

2.1 भादूविप्रा ने जम्मू एवं कश्मीर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में दूसरे और बाद के मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए 17 अक्टूबर 2019 के निदेश में आंशिक संशोधन करने के लिए 26 फरवरी 2020 को एक निदेश जारी किया:

Newsletter

भादूविप्रा के दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के निदेश में यह निर्दिष्ट किया गया था कि व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोध में जनरेट किया गया विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों को छोड़कर सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में चार दिनों के लिए वैध होगा।

दूरसंचार विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में एक से अधिक मोबाइल कनेक्शन जारी करने से संबंधित अपने दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया है कि दूसरे या तीसरे कनेक्शन के बाद कनेक्शन जारी करते समय, दूरसंचार सेवा प्रदाता स्थानीय पुलिस की मंजूरी लेने के लिए पत्र लिखेगा और जिन मामलों में निर्धारित दस दिन की अवधि में स्थानीय पुलिस से जवाब प्राप्त नहीं होता है, उनमें दूरसंचार सेवा प्रदाता जम्मू एवं कश्मीर में दूसरे या इसके बाद के कनेक्शनों को एक्टीवेट कर सकता है। इस शर्त के चलते, अंतर–सर्कल पोर्टिंग के मामले में, जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र में अपने दूसरे या इसके बाद के कनेक्शन को पोर्ट कराने के इच्छुक उपभोक्ताओं के अनुरोध अस्वीकृत हो जाएंगे क्योंकि स्थानीय पुलिस से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया पूरी होने तक यूपीसी अमान्य हो जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए, भादूविप्रा ने 17 अक्टूबर 2019 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन कर दिया है, जिससे यूपीसी पोर्टिंग अनुरोध में पंद्रह दिन तक वैध रहेगा, जहां प्राप्तकर्ता ऑपरेटर जम्मू एवं कश्मीर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र से है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_26022020.pdf

3. परामर्श पत्र

3.1 भादूविप्रा ने परामर्श के लिए मसौदा दूरसंचार शुल्क (पैंसठवां संशोधन) आदेश, 2020 जारी किया

बाजार में उपलब्ध रियायती एसएमएस पैकेज का उपयोग करने के लिए सामान्य टेलीफोन कनेक्शन को हतोत्साहित करने और दूरसंचार उपभोक्ता को अनचाहे वाणिज्यिक संचार के जोखिम से बचाने के लिए, 5 नवंबर, 2012 के दूरंचार शुल्क आदेश (54वां संशोधन) द्वारा एसएमएस की दर पचास पैसे (न्यूनतम) प्रति एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

यह देखते हुए कि दूरसंचार वणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के तहत नया विनियामक ढांचा सर्वसमावेशी है, यह माना जाता है कि उसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने टिप्पणियों हेतु 18 फरवरी, 2020 को मसौदा दूरसंचार शुल्क (पैंसठवां संशोधन) आदेश, 2020 जारी किया। मसौदा आदेश को नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जा सकता है

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_18022020.pdf

4. खुला मंच चर्चा

4.1. ''इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा'' संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा ''इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा'' संबंधी परामर्श पत्र (सीपी) पर भादूविप्रा, नई दिल्ली में 03.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

4.2 ''क्लाउड सेवाएं'' संबंधी परामर्श पत्र पर 28.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया:

''क्लाउड सेवाएं'' संबंधी परामर्श पत्र पर भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में 28.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

5. अन्य सूचना

5.1 31 दिसंबर, 2019 को दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़ें।

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	योग (वायरलैस+वायर लाइन)
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	643.97	18.47	662.45
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	507.46	2.53	509.99
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1151.44	21.00	1172.44
समग्र टेली–घनत्व (%)	86.98	1.69	88.56
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	55.93%	87.95%	56.50%
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	44.07%	12.05%	43.50%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	642.80	19.14	661.94

दिसंबर, 2019 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या 982.57 मिलियन थी।

दिसंबर, 2019 के दौरान, 3.46 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए अनुरोध किए। एमएनपी सुविधा शुरू होने से लेकर दिसंबर, 2019 के अंत तक कुल 470.08 मिलियन उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

5.2 भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल बनाने के लिए 27 फरवरी, 2020 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की:

भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम, जिनमें ''दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017'', ''दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017'' और 3 मार्च, 2017 का ''दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (अंग्रेजी) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017'' और बाद में इनमें किए गए सभी संशोधन शामिल हैं, हेतु विनियामक ढांचे के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखपरीक्षकों का पैनल बनाने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) में लेखापरीक्षा फर्म (इसमें आगे जिन्हें ''लेखापरीक्षा एजेंसी'' या ''फर्म'' या ''आवेदक'' कहा गया है) के रूप में पंजीकृत पात्र कंपनियों/लिमिटेड देयता वाली साझेदारी/साझेदारी फर्मों/प्रोपराइटरशिप फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

6. कार्यक्रम

6.1 फरवरी, 2020 के दौरान, निम्नलिखित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र. सं.	स्थान	तिथि
1	दुमका (झारखंड)	06.02.2020
2	महसमुंद (छत्तीसगढ़)	13.02.2020
3	कुरूक्षेत्र (हरियाणा)	13.02.2020
4	पलोंचा (तेलंगाना)	14.02.2020
5	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	19.02.2020
6	बिष्णुपुर, जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	20.02.2020
7	राजामुंद्री (आन्ध्र प्रदेश)	20.02.2020
8	फरीदाबाद (हरियाणा)	24.02.2020
9	कपूरथला (पंजाब)	26.02.2020
10	करनूल (आन्ध्र प्रदेश)	27.02.2020

फोटो गैलरी

06.02.2020 को दुमका (झारखंड) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

13.02.2020 को महासमुंद (छत्तीसगढ़) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

14.02.2020 को पलोंचा (तेलंगाना) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

19.02.2020 को जबलपुर (मध्य प्रदेश) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

20.02.2020 को बिष्णुपुर, जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

24.02.2020 को फरीदाबाद (हरियाणा) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

26.02.2020 को कपूरथला (पंजाब) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर भी उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***

Newsletter